महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांक–2065 / कु0का0 / 2023 दिनांक– 01 / 09 / 2023

संशोधित कार्यालय–ज्ञाप

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.07.2023 में लिए गये निर्णय के क्रम में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ परिसर में शैक्षणिक सत्र 2023–24 से परास्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया जाना है–

एम०ए० अंग्रेजी, एम०ए० हिन्दी एम०ए० संस्कृत, एम०ए० अर्थशास्त्र एम०ए० भूगोल, एम०ए० इतिहास, एम०ए० राजनिती विज्ञान, एम०ए० मनोविज्ञान एम०ए० समाजशास्त्र एम० काम० एल०एल०एम०, एम०एससी० कम्प्यूटर सांइस, एम०एससी इन्टिग्रेटिव साइस, एम०ए०एम०एससी० गणित, बी०बी०ए०, मास्टर इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन तथा एम0ए0 / एम०एससी0 गृहविज्ञान।

उक्त के संबंध में सूच्य है कि नियमित शिक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकगण की एक सूची अध्यापन कार्य हेतु तैयार करायी जानी है। इच्छुक शिक्षकगण से अपेक्षा है कि वह अपना आवेदनपत्र सादे कागज पर व्यक्तिगत –नलोडाटा) विवरण विषय एवं सेवानिवृत्त संबंधी प्रमाणपत्र के साथ कुलसचिव, महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ को दिनांक 10.09.2023 तक **ई–मेल** registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com पर अथवा डाक के माध्यम से उपलब्ध करवा दें। शासनादेशानुसार अध्यापन कार्य हेतु मानदेय निम्नवत निर्धारित हैं–

(क) असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर – रू० 25000 / प्रतिमाह अधिकतम सीमान्तर्गत।

रू0 500 / प्रति व्याख्यान की दर से।

(ख) एसोसिट प्रोफेसर स्तर–रू0 30000 / प्रतिमाह अधिकतम सीमान्तर्गत।

रू0 600 / प्रति व्याख्यान की दर से।

(ग) प्रोफेसर स्तर–रू0 35000 / प्रतिमाह अधिकतम सीमान्तर्गत।

रू0 700 / प्रति व्याख्यान की दर से।

01.09.23
कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. उपकुलसचिव।
4. वित्त अधिकारी।
5. प्राचार्या / प्रचार्य समस्त सम्बद्ध राजकीय / अनुदानित महाविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने महाविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षकगण को उक्त सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
6. कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर।
7. कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
8. कुलसचिव, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर।
9. एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना सभी राजकीय / अनुदानित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को सूचना के रूप में प्रेषित करें।

कुलसविच